मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26—अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल

क्र0 / बो.का. / बैक. / सी.भ. / कनि.अंके. / लेखा.—3 / 158 / पार्ट—1 / 339   भोपाल,दिनांक 14 / 02 / 2019

—:: आदेश ::—

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल द्वारा समूह 02 उपसमूह—02 अंतर्गत उप अंकेक्षक, लेखा सहायक, कनिष्ठ लेखा अधिकारी एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2018 के परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका की टिप्पणी क्रमांक—12 के अनुपालन व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप एफ—6—1 / 2002 / आ.प्र. / एक भोपाल दिनांक 06 जून 2018 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्षों को दिये गये निर्देश व म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) नियम, 1998 के नियम "4—ख आदिम जनजातियों के लिए विशेष उपबंध अनुसार सहारिया / सहरिया, भारिया एवं बैगा आदिम जनजातियों के अभ्यार्थियों से सीधे प्राप्त आवेदनों के शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के प्रतिशत की मेरिट सूची के आधार पर **कनिष्ठ अंकेक्षक संवर्ग में** राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के पद के लिये बैकलॉग सीधी भर्ती से चयनित अभ्यार्थियों को वेतनबैड 5200—20200+ग्रेड—पे 2400 / — में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम—2017 (सातवां वेतनमान) अनुसार वेतनमान लेवल—06 (वेतनमान 25300—80500) में न्यूनतम वेतन 25300 एवं अन्य भत्तों पर नीचे उल्लेखित शर्तो और प्रतिबंधों के अधीन आगामी आदेश तक राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम—1998 के विनियम 17 के अंतर्गत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है :—

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	लिंग	जाति	पदस्थापना स्थल	जिला
1	2	3	4	6	7
1	श्री संजय लाल बैगा	पुरूष	भारिया	म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल	भोपाल

शर्तेः—

01— यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिये की जाती है परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर परिवीक्षा में सेवा समाप्त की जा सकेगी।

02— अस्थाई नियुंक्ति के दौरान उनकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस देने के पहले या बाद में यदि वह अपने कार्य से बिना सूचना अनुपस्थित रहेगा तो यह समझा जावेगा कि उसने अनुपस्थिति की तारीख से बिना नोटिस दिये सेवा छोड दी है, तथा उसे एक माह का या नोटिस की अवधि में से जितनी अवधि कम हो उतनी अवधि का वेतन भत्ते का भुगतान बोर्ड को करना होगा।

03— उनके द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना और उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना बोर्ड सेवा छोड़ने पर शर्त (2) के अंतर्गत देय राशि उनसे भू—राजस्व की बकाया की भांति वसूल योग्य होगी।

Ajay/order/Auditor

04— उपर्युक्त नियुक्ति मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर उनकी सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

05— नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

06— कार्यभार ग्रहण के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के ज्ञापन कमांक/एफ–9/3/2003/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के अनुसार प्राप्त होने वाले मासिक वेतन एवं मंहगाई भत्ते से 10 प्रतिशत राशि परिभाषित पेंशन योजना के लिये कर्मचारी अंशदान के रूप में कटोत्रा की जावेगी।

07— नियुक्ति के लिये अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी अभिलेख, शपथ पत्र इत्यादि में किसी आवश्यक जानकारी का उल्लेख न होने तथा जानकारी असत्य पाये जाने पर बिना सूचना दिये सेवा समाप्त कर दी जावेगी।

08— परिवीक्षा पर नियुक्त अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से एक सप्ताह में यह अनुबंध करना होगा कि वह कम से कम तीन वर्ष तक बोर्ड की सेवा करेगा और अनुबंध के उल्लंघन की दशा में तीन माह के वेतन एवं भत्तों की पूर्ति के रूप में नगद जमा करेगा।

09— स्थाई सेवा का कोई भी सदस्य सेवा छोडने या त्यागपत्र देने संबंधी आशय की सूचना तीन केलेण्डर माह की लिखित सूचना प्रबंध संचालक या नियुक्ति प्राधिकारी को उचित माध्यम से दिये बिना अपनी सेवा नही छोडेगा या त्याग पत्र नही देगा। सेवा के किसी भी सदस्य द्वारा उपर्युक्त उपबंधों को भंग किये जाने पर वह ऐसे भंग के लिये प्रतिकार के रूप में उतनी कालावधि के, जितने से कि वस्तुतः दी गई सूचना कालावधि विहित की गई कालावधि से कम पडती हो, वेतन के बराबर की रकम बोर्ड को चुकाने का उत्तरदायी होगा।

10— चयनित/अभ्यर्थियों को निर्देशित किये जाने पर समय–समय पर आयेजित प्रशिक्षण/कार्यकमों में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, साथ ही परिवीक्षाकाल अवधि में विहित विभागीय परीक्षा आदि (यदि कोई हो) को नियत समयावधि में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।

11— चयनित अभ्यर्थियों की वरिष्ठता उक्त पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता में प्राप्तांकों के प्रतिशत की मेरिट अनुसार ही रहेगी, भले ही वे विभिन्न दिनांकों को ज्वाइन करेंगे या उनके बाद में नियुक्ति आदेश जारी हो।

12— यह नियुक्ति आदेश शैक्षणिक अर्हताओ के दस्तावेज प्रमाण पत्र अंक सूचियॉ आदि एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज वैध नही पाये जाते हैं या उसकी पुष्टि/सत्यापन नही होता है तो नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी एवं सेवा अवधि में प्राप्त किये गये वेतन भत्ते वसूली योग्य होंगे। अभ्यर्थी को इस आशय का अभिवचन देना होगा।

13— म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क0 एफ सी–15/2012/1/3 दिनांक 24 नवम्बर 2012 में जारी निर्देश के परिपेक्ष्य में शपथ–पत्र के आधार पर यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

Ajay/order/Auditor

14— यदि किसी समय चयनित अभ्यर्थी द्वारा म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड अथवा पुलिस को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी सेवा तत्काल बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

15— भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहना होगा।

16— समय—समय पर बोर्ड द्वारा सेवा शर्तो संबंधी लिये गये निर्णय बंधनकारी होंगे।

17— बोर्ड के कार्य के लिये सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में कहीं भी पदस्थापना की जा सकेगी।

18— विवाहित होने की स्थिति में आपको कार्यभार ग्रहण करते समय दिनांक 26.01.2001 के बाद की स्थिति में दो से अधिक जीवित बच्चे न होने का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।

19— समूह 02 उपसमूह—02 के अंतर्गत चयन समिति द्वारा प्रस्तावित मेरिट सूची अनुसार वरिष्ठता निर्धारित होगी

(फैज अहमद किदवई)
प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क0/बो.का./बैक./सी.भ./कनि.अंके./लेखा.—3/158/पार्ट—1/340 भोपाल,दिनांक 14/02/2019

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।
02. प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के निज सहायक, मुख्यालय भोपाल।
03. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री (समस्त) मुख्यालय भोपाल।
04. उपसंचालक/कार्यपालयंत्री/सहायक यंत्री/सहायक संचालक मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
05. लेखाधिकारी (लेखा/आडिट) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
06. संयुक्त/उप संचालक म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय, ... की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित अभ्यर्थी के अभिलेखों की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न है तदानुसार संबंधित अभ्यर्थी के सेवा पुस्तिका/सेवा अभिलेख तैयार करें/संधारित करें तथा इनकी उपस्थिति से तत्काल मुख्यालय को अवगत कराये।
07. सहायक लेखाधिकारी (पेंशन) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल
08. अनुभाग अधिकारी/सहायक लेखाधिकारी (समस्त) मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल।
09. श्री/सुश्री/श्रीमति ....

....

10— आदेश नस्ती/व्यक्तिगत नस्ती/गोपनीय चरित्रावली शाखा/लेखा शाखा/मण्डी कार्मिक/स्टोर शाखा/प्रशासन शाखा/कम्प्यूटर शाखा/वाहन शाखा/लायब्रेरी शाखा/वरिष्ठता सूची पटल/बोर्ड कार्मिक, एवं अन्य शाखा ....मण्डी बोर्ड मुख्यालय भोपाल

14/2
प्रबंध संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Ajay/order/Auditor